सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 149 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :—19.07.2024

GCMS ID—2024 / 229

1. औंकारी बाई पफनी स्व0 रामलाल निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कमलेश आ0 रामलाल निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. प्रेम बाई पुत्री रामलाल निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. बबूलाल पुत्र रामलाल निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. लदुलाल पुत्र रामलाल निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 26 / 03 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि ग्राम हिण्डोली की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 161 के खसरा संख्या 2629 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा संख्या 6292 / 2631 रकबा 0.7042 हैक्टेयर, खसरा संख्या 6790 / 2629 रकबा 0. 0162 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खातेदार के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम अंकित है। ग्राम हिण्डोली के सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1 में खसरा संख्या 2631 रकबा 2.2824 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार राज0 सरकार है और उक्त भूमि सिवायचक है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों के पुराने खसरा संख्या 2040 थे। सेटलमेंट के दौरान पुराने खसरा नम्बरो के नये खसरा संख्या में नक्शे में तरमीम किये गये तो कब्जे के हिसाब से तरमीम नहीं की गयी। खसरा 2629 जहॉ पर तरमीम की गयी है, उस स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है बल्कि खसरा संख्या 2631 पर काबिज है और कब्जे के अनुसार खसरा संख्या 2631 पर तरमीम नहीं की गयी। तरमीम गलत होने के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि का लाभ नहीं उठा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पा रहे है। प्रार्थीगण के नाम खसरा संख्या 2629 है जबकि प्रार्थीगण 2631 पर बैठे हुए है। प्रार्थीगण ने कई बार राजस्व अधिकारियों से तरमीम दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने के लिए निर्देशित किया गया। प्रार्थीगण ने तरमीम दुरूस्त करने के लिए अप्रार्थी के अधिकारियों से अंतिम बार 28 जून 2024 को निवेदन किया लेकिन उन्होंने तरमीम दुरूस्त नहीं की इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण है। वाद करण अप्रार्थी के द्वारा अंतिम बार दिनांक 28 जून 2024 को तरमीम दुरूस्ती के लिए कहने व उनके द्वारा न करने पर लगातार उत्पन्न हो रहा है, अतः प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। भूमियाू श्रीमानं के क्षेत्राधिकार में स्थित है, अतः श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व उचित तलबाने के साथ प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे के अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर को दुरूस्त किया जावे ताकि प्रार्थी अपने कब्जे व खाते की भूमि का लाभ उठा सके। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रार्थीगण को दिलायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :– राजस्व/25/425 दिनांक 17.02.2025 से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार एन0एच–52 रोड के उत्तरी दिशा की ओर की भूमि की तरमीम यथा स्थान 0.3480 हैक्टेयर खातेदार की खातेदारी में दर्शाए अनुसार खसरा संख्या 6298/2631/1 रहेगी व एन0एच0–52 में गए रकबा 0'.3562 हैक्टेयर जिसका मुआवजा खातेदारों को प्राप्त नहीं हुआ है, को एन0एच0–52 की दक्षिणी ओर राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2631 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 6298/2632/2 रकबा 0.3562 हैक्टेयर में तरमीम प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित खसरा संख्या 6298/2631 का दक्षिणी हिस्सा जो एन0एच–52 रोड के अन्दर 0.3562 हैक्टेयर एन0एच–52 रोड में जा रहा है वो राजकीय सिवायचक भूमि रहेगा, जिसके नजरी नक्शा में 2631/2 दर्शाया गया है व खसरा संख्या 2631 मूल के स्थान पर खातेदारी भूमि आ जाने के बाद शेष रहा रकबा 2631/1 से दर्शाया गया है। खातेदार की एन0एच–52 की उत्तरी दिशा की भूमि 0.3480 हैक्टेयर तथा दक्षिणी दिशा की भूमि 0.3562 हैक्टेयर रहेगी। पेरोकार सरकार द्वारा खसरा संख्या 2631 की वर्तमान तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत ''सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि एन0एच–52 में अवाप्त नहीं होने व पूर्व में इस भूमि का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से किसी प्रकार का मुआवजा/अवार्ड जारी नहीं होने बाबत शपथ–पत्र पेश किया है, जो शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली के खाता संख्या 1 के मूल खसरा संख्या 2631 में से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 6298/2631 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 1 के खसरा संख्या 2631 में से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6298/2631 रकबा 0.7042 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 6298/2631 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 26.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

26/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446